लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5110
24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में विद्युतकरघा उद्योग

5110. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कोविड-19 महामारी के बाद महाराष्ट्र के भिवंडी क्षेत्र में विद्युतकरघा उद्योग को आर्थिक रूप से उबरने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भिवंडी में कई विद्युतकरघा इकाइयों ने अभी तक पूरी तरह से कार्य प्रारंभ नहीं किया है और कामगार स्थिर रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कोविड के पश्चात राहत हेतु भिवंडी जैसे पारंपरिक समूहों के लिए क्या विशेष सहायता अथवा राहत पैकेज प्रदान किया गया है;

(घ) क्या सरकार इस उद्योग हेतु पुनर्वित्त, कार्यपूंजी सहायता और कामगारों के कल्याण के लिए कोई नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भिवंडी के विद्युतकरघा उद्योग को पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक विद्युत प्रभार का भुगतान करना पड़ता है और क्या केंद्र सरकार उक्त मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रही है;

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान भिवंडी में वस्त्र उद्योग में कार्यरत ऐसे कामगारों की कुल संख्या कितनी है जो बेरोजगार हो गए हैं या अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं; और

(छ) भिवंडी से वस्त्र उत्पादों के निर्यात में कितनी गिरावट आई है और उक्त उतपादों को वैश्विक बाजार से पुन: जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (छ): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार पावरलूम इकाइयों के विकास, पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में भिवंडी क्लस्टर सहित पूरे देश में पावरलूम क्षेत्र को वित्तीय सहायता और संस्थागत सहयोग प्रदान कर रहा है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं;

क) संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)।
ख) पावरटेक्स इंडिया योजना
ग) व्यापक विद्युतकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस)
घ) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

मंत्रालय ने महाराष्ट्र में 6 पीएससी (जिसमें से एक भिवंडी में है) सहित पूर्व पावरलूम सेवा केंद्रों (पीएससी) का वस्त्र डिजाइन सस्थानों और अपैरल विकास केंद्रों (आईटीएडीसी) के रूप में कायाकल्प किया है जिनके ड्यूटी चार्टर में संशोधन तथा सुविधाओं एवं मैनपावर में सुनियोजित सुधार किया गया है। इनमें क्लस्टर-विशिष्ट सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें परीक्षण अवसंरचना को मजबूत करना, आधुनिक लूम और प्रीपेरेटरी मशीनें, परीक्षण उपकरण, गारमेंट और अपैरल विकास के लिए सिलाई और कढ़ाई मशीनें, और डिज़ाइन डेवलपमेंट सुविधाएं स्थापित करना शामिल हैं। भिवंडी क्लस्टर (महाराष्ट्र) में अलग-अलग योजनाओं के तहत जारी किए गए फंड का विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2026 में, सरकार ने एक एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम की भी घोषणा की है, जिसमें वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना (टीईईएम) शामिल है। इसका उद्देश्य मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और सामान्य परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक कलस्टरों को आधुनिक बनाना है।

एकीकृत और सस्टेनेबल वस्त्र पॉलिसी 2023-28 के तहत, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्पिनिंग के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट और अन्य वस्त्र इकाइयों के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली टैरिफ सब्सिडी दे रहा है। महाराष्ट्र राज्य ने नीतिगत पहलों के पंजीकरण, मॉनिटरिंग और डिलीवरी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एक एकीकृत ई-टेक्सटाइल पोर्टल बनाया है। पोर्टल पर 1500 से ज़्यादा वस्त्र उद्योगों ने पंजीकरण किया है, और 400 से ज़्यादा इकाइयों ने महाराष्ट्र वस्त्र पंजीकरण संख्या (MTRN) प्राप्त किए हैं। भिवंडी सहित ठाणे ज़िले से वस्त्र और अपैरल का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 549.3 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) में 600.3 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

मंत्रालय द्वारा दूसरे राज्यों में लेबर माइग्रेशन या फिर से चालू हुई इकाइयों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

अनुबंधक-

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी सहायता:

क्र.सं.	**योजनाओं**	**भिवंडी**	
		इकाइयों/परियोजनाओं की संख्या	**वित्तीय सहायता करोड़ रुपए में**
1	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	297	69.9
2	इन-सीटू उन्नयन निधि योजना	6257	56.56
3	समूह वर्कशेड योजना	2	0.91
4	यार्न बैंक	1	0.50
5	एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)	1	40

महाराष्ट्र में पावरलूम कामगारों के लिए समूह बीमा योजना :-

क्र.सं.	**नामांकन**	**मृत्यु दावे**		**शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई)**	
	संख्या	**संख्या**	**वित्तीय सहायता**	**संख्या**	**वित्तीय सहायता**
1	328705	3148	15.69 करोड़	5539	48.65 लाख

पावरलूम सेवा केंद्र

क्र.सं.	**पावरलूम सर्विस सेंटर का नाम**	**ज़िला**	**टीएक्ससी/गैर-टीएक्ससी(टीआरए)**
1	नागपुर	नागपुर	टीएक्ससी
2	मालेगांव	नासिक	टीएक्ससी
3	माधवनगर	सांगली	बीटीआरए
4	सोलापुर	सोलापुर	बीटीआरए
5	इचलकरंजी	कोल्हापुर	बीटीआरए
6	भिवंडी	ठाणे	ससमीरा
